भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 3298
उत्तर देने की तारीख : 16.03.2021

भिन्न रूप से सक्षम लोगों के लिए रोजगार अवसर

3298. श्री श्रीधर कोटागिरी:
श्री पी. वी. मिधुन रेड्डी:
श्री एम. वी. वी. सत्यनारायण:
श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी:
श्रीमती चिंता अनुराधा:
कुमारी गोड्डेति माधवी:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितने भिन्न रूप से सक्षम व्यक्ति हैं;

(ख) देश में कुल कितने भिन्न रूप से सक्षम स्नातक व्यक्ति हैं;

(ग) क्या सरकार उन्हें बेहतर रोजगार अवसर प्रदान करने के लिए कदम उठा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री कृष्णपाल गुर्जर)

(क) जनगणना 2011 के अनुसार देश में 2,68,14,994 दिव्यांगजन हैं।

(ख) जनगणना 2011 के अनुसार, दिव्यांगजनों की कुल जनसंख्या में 5 प्रतिशत स्नातक तथा इससे ऊपर के स्तर तक शिक्षित हैं।

(ग) और (घ) सरकार ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 अधिनियमित किया है जो दिनांक 19-04-2017 से प्रभावी हुआ। उक्त अधिनियम की धारा 34 में बेंचमार्क दिव्यांगजनों (40 प्रतिशत या उससे अधिक की दिव्यांगता) की कुछ श्रेणियों के लिए सरकारी रिक्तियों में कम से कम 4 प्रतिशत

आरक्षण का प्रावधान है। इसके अलावा, आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के तहत परिकल्पित सरकारी रोजगार में आरक्षण के प्रावधान को लागू करने के लिए मंत्रालय ने दिनांक 04.01.2021 को बेंचमार्क दिव्यांगता की विभिन्न श्रेणियों के लिए उपयुक्त 3566 पदों (ग्रुप ए में 1046, ग्रुप बी में 515, ग्रुप सी में 1724 और ग्रुप डी में 281) की सूची अधिसूचित की है।

इसके अलावा, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) एक समग्र (अंब्रेला) योजना नामत: दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए योजना (सिपडा) लागू करता है, जिसमें दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए एक घटक निहित है। इस घटक के तहत, विभाग ने स्वरोजगार को बढ़ावा देने के अलावा सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में रोजगार के उनके दायरे को बढ़ाने के मद्देनजर मार्च, 2015 में दिव्यांगजनों (15 से 59 वर्ष के बीच) के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपी) का शुभारंभ किया। दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए दिव्यांगजन स्वावलंबन योजना के तहत नैशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस एंड डेवलेपमेंट कारपोरेशन (एनएचएफडीसी) द्वारा रियायती दरों पर ऋण के संबंध में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

****